"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक.52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2005—पौष 2, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक पार्ट एफ 2-20/2005/1-8.—श्री अनिल टुटेजा (रा.प्र.से.) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण, संचालक, विमानन तथा राज्य परिवहन प्राधिकारी को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के स्थान पर उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा पदस्थ किया जाता है. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1150/931/2005/1-8/स्था.—श्री बी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 12-12-2005 से 14-12-2005 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10 एवं 11-12-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल को संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1180/921/2005/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार सिंह, स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को दिनांक 21-12-2005 से 5-1-2006 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो, स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1182/909/2005/1-8/स्था..—श्री एन. एन. एक्का, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 22-12-2005 से 31-12-2005 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 1-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एक्का को अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2006 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-9-38/दो-गृह/05.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 23-7-2006 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 23-1-2006

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	सोमवार, दिनांक 23-1-2006	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
	मंगलवार, दिनांक 24-1-2006	
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-''बी.''.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-''सी.''	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित)(नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 24-1-2006	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए. (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	
	बुधवार, दिनांक 25-1-2006	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की ''व्यवहारिक परीक्षा''	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 25-1-2006

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिए.	

गुरुवार, दिनांक 26-1-2006 शासकीय अवकाश

शुक्रवार, दिनांक 27-1-2006

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
34.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शनिवार दिनांक 28-1-2006	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक,क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी के लिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक..
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि, कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	रविवार दिनांक 29-1-2006 अवकाश	
	सोमवार दिनांक 30-1-2006	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-3-99 एवं एफ-3-102/90/दो-ए (3) दिनांक 8-5-2001 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होंगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागा-अध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर (सूची में दर्शाये अनुसार) को दिनांक 26-12-2005 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 8-11/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात लि. मंदिर हसौद—रायपुर के बायलर क्रमांक-सी. जी.-96 तथा सी. जी./40 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 25-11-2005 से दिनांक 24-2-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्प यंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 8-10/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व), कोरबा के बायलर क्रमांक एम.पी./3216 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 4-11-2005 से दिनांक 3-2-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9478/3(बी)/28/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, आत्मज स्व. श्री कुंज बिहारी श्रीवास्तव मेरिट क्रमांक-28 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9480/3(बी)/36/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्रीमती प्रिया राव, पति श्री के. डी. पी. राव, मेरिट क्रमांक-36 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9482/3(बी)/38/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री सुनील कुमार नंदे, आत्मज श्री नीलाम्बर नंदे, मेरिट क्रमांक-07 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9484/3(बी)/18/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री विवेक कुमार तिवारी, आत्मज श्री जे. पी. तिवारी, मेरिट क्रमांक-18 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9490/3(बी)/06/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री दीपक कुमार गुप्ता, आत्मज श्री मनहरण लाल गुप्ता, मेरिट क्रमांक-06 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9492/3(बी)/11/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री प्रशांत कुमार शिवहरे, आत्मज श्री शीतल प्रसाद शिवहरे, मेरिट क्रमांक-11 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9494/3(बी)/08/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर आत्मज श्री महावीर सिंह ठाकुर, मेरिट क्रमांक-08 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9496/3(बी)/38/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, आत्मज श्री चन्द्रभुवन चतुर्वेदी, मेरिट क्रमांक-38 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9498/3(बी)/09/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री अविनाश तिवारी आत्मज श्री दुखु राम तिवारी, मेरिट क्रमांक-09 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

फा. क्र. 9500/3(बी)/15/2005/21-ब.—राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, आत्मज श्री देवराज मिश्रा, मेरिट क्रमांक-15 को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

विषय :- मंडी समितियों के निर्वाचन, 2005.

क्रमांक/4462/डी-15/239/2004-05.—राज्य शासन की ओर से आज दिनांक 26-12-2005 को समस्त जिला कलेक्टरों के लिये मंडी निर्वाचन 2005 हेतु निर्वाचन सूचना जारी करने बाबत् आदेश प्रसारित किये गये हैं. उक्त आदेश के प्रसारण के साथ-साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता भी प्रभावशील हो जायेगी. कृषि उपज मंडी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने आदर्श आचार संहिता के तहत निर्देश दिये गये हैं. उक्त निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों एवं निर्वाचन से संबंद्ध शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मियों का दायित्व है कि वे इन निर्देशों के अनुपालन करें एवं अपने आचरण एवं व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें.

कृपया संलग्न निर्वाचन निर्देशों का पालन आगामी मंडी चुनावों को निर्बाधित रूप से सम्पन्न कराने हेतु किया जायें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कृदत्त, उप-सचिव.

मंडी निर्वाचन परिशिष्ट-छब्बीस

आदर्श आचार संहिता
भाग-एक
उम्मीदवारों के लिए

1. **सामान्य आचरण :—**

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो.

2. मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए.

3. पूजा के किसी स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिए.

4. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो.

5. उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराधों जैसे कि—

(i) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना,

(ii) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,

(iii) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,

(iv) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(v) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,

(vi) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,

(vii) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना.

6. मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए.

7. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, आहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए.

8. किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए.

9. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए. पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, ग्राम, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अलावा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए. पर्ची में उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए.

10. निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए.

2. सभाएं एवं जुलूस :—

(1) किसी हाट/बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए.

(2) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए. यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए.

(3) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हों. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो. जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिन को लेकर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता हो.

भाग-दो

शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए

1. कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं. जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं.

2. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी अधिकारी या कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए. यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए.

3. (1) साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा आयोजित की जाती है उसे चुनाव संबंधी सभा मानना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिये अतः चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में, किसी निर्माण कार्य या परियोजना के शिलान्यास या उद्‌घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये.

   (2) उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिये या सुरक्षा के लिये तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिये.

   (3) यदि कोई मंत्री चुनाव के काम के लिये ग्रामीण क्षेत्र में जाये तो शासकीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों को उनके साथ नहीं जाना चाहिये.

4. किसी सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये. यदि एक ही दिन में कई उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जाना चाहिये जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया हो.

5. निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक :—

   (1) नगर पालिकाओं/निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपक्रमों/प्राधिकरणों/निकायों के वाहनों के उपयोग की अनुमति विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जाना चाहिये.

   (2) मंत्रीगण द्वारा जनसंपर्क राशि या स्वेच्छानुदान राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिये.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक/ 4457/डी-15/239/2004-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सन् 1973) की धारा 60 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 26 के अनुसार राज्य की मंडी समितियों के निर्वाचन के लिये निम्नानुसार समय अनुसूची एतद्द्वारा विहित करती है :—

अ (I) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रथम चरण के मतदान के लिये प्रत्येक संलग्न अनुसूची (एक) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी करने तथा प्रारंभ होने का दिनांक.	28-12-2005	(बुधवार)
(ख)	नाम निर्देशन करने का अंतिम दिनांक	04-01-2006	(बुधवार)
(ग)	नाम निर्देशनों के संवीक्षा का दिनांक	05-01-2006	(गुरुवार)
(घ)	अभ्यर्थितायें वापस लेने का अंतिम दिनांक	07-01-2006	(शनिवार)
(ङ)	वह दिनांक जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा—	20-01-2006	(शुक्रवार)
(च)	मतगणना के लिये दिनांक	मतदान के बाद उसी तिथि को	
(छ)	सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा	24-01-2006	(मंगलवार)

(II) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित द्वितीय चरण के मतदान के लिये प्रत्येक संलग्न अनुसूची (दो) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी करने तथा प्रारंभ होने का दिनांक.	30-12-2005	(शुक्रवार)
(ख)	नाम निर्देशन करने का अंतिम दिनांक	06-01-2006	(शुक्रवार)
(ग)	नाम निर्देशनों के संवीक्षा का दिनांक	07-01-2006	(शनिवार)
(घ)	अभ्यर्थितायें वापस लेने का अंतिम दिनांक	09-01-2006	(सोमवार)
(ङ)	वह दिनांक जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा—	23-01-2006	(सोमवार)
(च)	मतगणना के लिये दिनांक	मतदान के बाद उसी तिथि को	
(छ)	सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा	24-01-2006	(मंगलवार)

और

(आ) 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कृदत्त, उप-सचिव.

अनुसूची (एक)—प्रथम चरण में सम्पन्न होने मतदान के लिये मंडी समितियों का नाम

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक (3)	कृषि उपज मंडी समिति का नाम (4)
1.	रायपुर	2	भाटापारा
		4	आरंग
		5	बलौदाबाजार
		10	कसडोल
		8	भटगांव
2.	महासमुंद	12	महासमुंद
		14	बागबाहरा
		16	पिथौरा
3.	धमतरी	17	धमतरी
		19	नगरी
4.	दुर्ग	21	बेमेतरा
		22	बालोद
5.	राजनांदगांव	23	राजनांदगांव
		24	बांधाबाजार
		25	छुरिया
		27	डोंगरगांव
6.	कबीरधाम	30	कवर्धा
7.	बस्तर	32	जगदलपुर
		33	कोंडागाँव
8.	उत्तर बस्तर कांकेर	36	कांकेर
		37	चारामा
		38	संबलपुर
9.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	41	बीजापुर
		42	भोपालपट्नम
10.	बिलासपुर	43	बिलासपुर
		44	मुंगेली
		45	जयरामनगर
11.	जांजगीर-चांपा	51	अकलतरा
		52	चांपा
		54	आमनदुला
12.	कोरबा	56	कटघोरा
13.	रायगढ़	57	रायगढ़
		60	सारंगढ़
14.	जशपुर	62	जशपुरनगर
		64	पत्थलगांव
15.	सरगुजा	67	रामानुजगंज
		68	सीतापुर
		71	कुसमी
16.	कोरिया	72	बैकुण्ठपुर
		73	मनेन्द्रगढ़

अनुसूची (दो)—द्वितीय चरण में सम्पन्न होने मतदान के लिये मंडी समितियों का नाम

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक (3)	कृषि उपज मंडी समिति का नाम (4)
1.	रायपुर	3	नवापारा
		6	नेवरा
		7	राजिम
		9	गरियाबंद
		11	अभनपुर
2.	महासमुन्द	13	बसना
		15	सरायपाली
3.	धमतरी	18	कुरूद
4.	दुर्ग	20	दुर्ग
5.	राजनांदगांव	26	डोंगरगढ़
		28	खैरागढ़
		29	गण्डई
6.	कबीरधाम	31	पंडरिया
7.	बस्तर	34	नारायणपुर
		35	केशकाल
8.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	39	गीदम
		40	कोंटा
9.	बिलासपुर	49	तखतपुर
		46	कोटा
		47	लोरमी
		48	पेण्ड्रारोड
10.	जांजगीर-चांपा	50	नैला-जांजगीर
		53	सक्ती
		55	जैजैपुर
11.	रायगढ़	59	घरघोड़ा
		59	खरसिया
		61	बरमकेला
12.	जशपुर	63	कुनकुरी
		65	बगीचा
13.	सरगुजा	66	अंबिकापुर
		69	प्रतापपुर
		70	सूरजपुर

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

प्र. क्र. 01/अ 82/05-06—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सागरपाली प.ह.नं. 19	1.080	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय के एल.बी.सी. मुख्य नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

प्र. क्र. 02/अ 82/05-06—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा प.ह.नं. 21	1.580	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय के आर.बी.सी. मुख्य नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

प्र. क्र. 03/अ 82/05-06—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	खजरीढाब	0.508	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय के आर.बी. सी. मुख्य नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

प्र. क्र. 04/अ 82/05-06—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	रोकबहार प.ह.नं. 19	0.416	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय के आर.बी. सी. मुख्य नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

प्र. क्र. 05/अ 82/05-06—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प.ह.नं. 19	0.500	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय के आर.बी. सी. मुख्य नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक/3/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	टीकरकला	0.129	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	सड़क निर्माण

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 28 सितम्बर 2005.

क्रमांक/क/भू-अर्जन/17/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	घोंसरा प. ह. नं. 5	56.75	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्र.-3, माचाडोली.	बांध निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 सितम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/18/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सखोदा प. ह. नं. 5	17.00	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्र.-3, माचाडोली.	बांध निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक 9643/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पारागांवकला प.ह.नं. 13	24.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 बायीं तट नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक 9644/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	आरबीरा प.ह.नं. 11	10.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 बायीं तट नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक 9645/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जामरी प.ह.नं. 13	8.03	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 बायीं तट नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/6 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रिकोटार प. ह. नं. 11	2.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/7 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टैयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	धारासिव प. ह. नं. 11	1.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय के ठाकुरदिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/8 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टैयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रिकोटार प. ह. नं. 11	1.754	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय योजना के अंतर्गत अमगहन शाखा नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/9 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	भटगाँव प. ह. नं. 15	2.073	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय भटगांव शाखा नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	जमगहन	2.974	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय योजना के जमगहन शाखा नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1337.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियप की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	सोनाईडीह प.ह.नं. 15	0.202	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	बड़गड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी; हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1338.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चारपारा प.ह.नं. 15	0.138	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1339.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	कचन्दा. प.ह.नं. 7	0.052	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	कचंदा. माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1340.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	लवसरा प.ह.नं. 11	0.056	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सिरली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1341.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	तालदेवरी प.ह.नं. 20	0.146	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	बनडभरा वितरक नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1346.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुडरूकला प.ह.नं. 23	0.483	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	गुडरूकला माइनर नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/11 अ/82 वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-मोहतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.166 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1193/2	0.216
	1193/3	0.469
	1201/3	0.051
	1193/1	0.105
	380/2, 383	0.203
	395	0.105
	995/2	0.049
	102	0.048
	103	0.154
	1089/2	0.185
	409/2	0.081
	1032/2	0.097
	1009	0.098
	995/1	0.405
	79/3, 91/3, 92/3	0.052
	101	0.085
	1008/3	0.138
	71/4	0.032
	77/3, 78/3, 78/2	0.085
	314	0.065
	412	0.032
	309	0.024
	1089/3	0.052
	1035/2	0.123
	1035/3	0.144
	1043/2	0.068
योग	31	3.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक/753/भू-अर्जन/अ.वि.अ./24-अ/82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-[illegible]टी, प.ह.नं. 130
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
705	0.10

	(1)	(2)
	666	0.18
	583	0.13
	581	0.10
	582	0.01
	333	0.09
	332/1	0.03
	242	0.25
	226	0.09
	389	0.19
	390	0.02
	129	0.01
	128	0.09
	126	0.02
	131	0.02
	133	0.12
	116	0.07
	107	0.04
	71	0.07
	72	0.05
	101	0.07
योग	21	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत खट्टी माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक/767/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-सेनभाठा, प.ह.नं. 113/60

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
58	0.04
67	0.05
69	0.02
59	0.33
68	0.02
65	0.02
66	0.01
70	0.33
104	0.03
105	0.04
103	0.03
233	0.07
289	0.02
100/1	0.01
106	0.10
107	0.02
265	0.22
288	0.07
231	0.14
232	0.12
246	0.09
247	0.17
278	0.07
287	0.09
280/1	0.08
280/2	0.01
283	0.02
284	0.09
211/3	0.14

	(1)	(2)
	204	0.05
योग	30	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के सेनभाठा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 253/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-ओड़ेकेरा, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.554 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2163/3	0.185
	2163/5	0.078
	2396/1	0.020
	806/1, 806/3	0.162
	624/1	0.016
	2172	0.004
	2450/1	0.016
	2450/3	0.020
	803/1, 804, 805	0.053
योग		0.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली, वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 254/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.296 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
746	0.134
740/3	0.004
741	0.004

(1)	(2)
733	0.004
736/2	0.006
696/2	0.012
696/4	0.006
712, 713	0.008
700/1, 700/3	0.073
717/2	0.045
योग	0.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली माइनर-1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 255/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिर्राडीह, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
510	0.044
524	0.004
493/5	0.012
511	0.004
योग	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिर्राडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 256/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
363/1	0.014
380/1	0.040
450, 458, 459	0.012
441/1, 2, 442	0.016
444	0.008
930	0.012
981/2	0.008

(1)	(2)
983	0.004
योग	0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोज़ना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005.

क्रमांक 257/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलादूला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.353 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.032
11/2	0.020
30	0.008
29	0.008
27/2, 38/2	0.024
50/5	0.004
51	0.008
50/2	0.008
62	0.008
204/2	0.004
241	0.008
247/1	0.008
449, 450	0.004
499/1	0.060
500/3	0.008
499/2	0.016
498/4	0.028
497	0.012
554/2	0.041
557/4	0.008
28/5	0.032
237/1	0.004
योग 22	0.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा उप-वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 258/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमाकोनी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.277 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172/11	0.008

(1)	(2)
172/5	0.012
57/2	0.004
59/1	0.012
59/2	0.004
60/1	0.012
63	0.028
155	0.016
124/1	0.008
140, 141	0.008
138/2, 139/2	0.020
131	0.008
132	0.020
133/1, 133/2	0.045
123	0.008
246/1	0.028
250	0.028
256	0.004
257/3	0.004
योग	0.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमाकोनी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 259/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-भनेतरा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79	0.012
86/1	0.004
375	0.024
92	0.004
70, 90/5	0.004
78/3	0.052
373/2	0.012
78/1	0.033
78/2	0.004
योग	0.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भनेतरा माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 260/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-पिसौद, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.106 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
558/1	0.020
544/1, 2	0.008
615/1	0.004
618	0.008
599/1	0.018
629	0.008
651	0.028
653	0.004
567/1	0.004
678/2	0.004
योग	0.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भनेतरा ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक 1342/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-चाम्पा
   (ग) नगर/ग्राम-डभराखुर्द, प. ह. नं. 19
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182	0.057
109	0.028
138	0.061
योग 3	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बिर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक 1343/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-पामगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-भदरा, प. ह. नं. 14
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
647/1	0.138
643/4	0.040
647/2	0.178
643/1	0.145
642/1	0.129
640/6	0.174
640/7	0.012
636/3	0.129
640/4	0.004
636/1	0.295
637/1	0.368

(1)	(2)
647/1	0.032
643/4	0.081
647/2	0.121
646/1	0.186
648	0.077
649/2	0.202
649/1	0.069
योग 18	2.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोसला मा. नं. 2 एवं कोसला सब माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 1344/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ताराजा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
820/11	0.049
165/7	0.020
योग 2	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है पलारी सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 1345/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरली, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1214/8	0.049
1214/6	0.024
1226/8	0.020
योग 3	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है आमापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1347/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-रिस्दा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	212/3	0.125
योग	1	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रिस्दा सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 36/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-खेमड़ा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	131/3	0.020
	91/3	0.016
	83/1	0.053
	79/2	0.065
योग		0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खेमड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 37/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.516 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
895/5	0.008
888/3	0.008
895/6	0.008
899/2	0.045
1016/2	0.040
721	0.065
179/1	0.121

(1)	(2)
181/4	0.008
140/3	0.020
172/2	0.020
42	0.061
160	0.028
953/2	0.008
1292/3	0.020
895/7	0.036
887	0.020
योग	0.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरतुंगा माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 38/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195/1	0.008
230/3	0.073
259/5	0.040
199/3	0.040
योग	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2 R माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 39/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धिंवरा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/1	0.101
309/2	0.097
471/2	0.057
507/1	0.057
507/2	0.032
योग	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देवरघटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 40/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1023	0.097
1024	0.069
1012/2	0.020
1012/3	0.020
737/1	0.061
737/2	0.036
738/2	0.024
739/3	0.024
735	0.061
1009, 786	0.012
739/2	0.016
योग	0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छपोरा मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 41/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरिद, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.004 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
810/2	0.008
811/3	0.004
811/2	0.045
821, 822/2	0.057
825	0.028
826/3	0.045
826/4	0.045
910/2	0.081
913/3	0.036
955/7	0.028
963	0.170
1098/1	0.190
1131	0.036
1132	0.126
1150	0.057
1152	0.028
1199	0.016
835/1	0.004
योग 18	1.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पिहरिद माइनर (कुरदा वितरक). पूरक

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 42/सां-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
667/7	0.028
669/2	0.008
667/2	0.032
667/4	0.028
669/1	0.024
667/9	0.012
667/1, 667/5	0.012
665, 649, 650/5, 651/5, 650/4, 651/4, 650/2 636/1, 636/2	0.101
योग	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिमतरा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 3 दिसम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/2/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छुरावण्ड, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-82.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165/1	0.63
128/1	0.07
95	0.70
124	0.82
133	0.56
143	0.67
146	0.16
259	4.00
13/3	0.07
15/3	0.09
21/3	0.05
120	0.34
130	0.09
134	0.06
256	3.81
91/2	0.30
93/2	0.13
96/2	0.63
141/1	0.89
149/1	0.75
226	0.26

(1)	(2)
262	0.72
91/1	0.31
93/1	0.14
96/1	0.64
147/3	0.26
260/3	2.80
165/3	0.90
228/3	0.06
43	1.35
98	0.42
147/2	0.12
260/2	0.10
30	0.12
105	1.00
121	0.34
127	0.09
145	2.10
13/2	0.07
15/2	0.10
21/2	0.03
32	0.13
107	0.95
5	0.06
25	2.04
27	0.05
176	0.54
165/2	0.90
228/2	0.06
147/4	0.10
260/6	1.85
179	0.12
147/5	0.08
260/5	0.25
33	0.13
92	2.02
20	0.37
31	0.40
108	1.64
10	0.02
39/2	1.29
102/1	1.00
29	0.12
38	1.15
103	0.25
123	2.02
117	0.34
131	0.10
166	0.70
147/1	0.14
260/1	1.28
257	1.78
14	0.27
22	0.34
138	0.09
258	3.99
141/2	0.88
149/2	0.74
137/1	0.14
227/1	0.35
135	0.38
260/4	0.40
260/7	0.52
13/4	0.07
15/4	0.09
21/4	0.03
37	0.54
137/2	0.14
227/2	0.36
119	0.34
230	0.63
35/1	0.21
41/1	0.30
99/1	0.75
118	0.34
132	0.10
144	0.55
164	0.45
6/1	0.40
177/1	0.48
28	1.16
36	0.39
42	0.06
116	11.72
125	1.04
178	0.59
48	0.32
13/1	0.02
15/1	0.10
21/1	0.03
39/1	0.53
39/3	0.25

(1)	(2)
102/2	0.67
35/2	0.20
41/2	0.30
99/2	0.75
104/2	0.06
122	0.34
128	0.09
177/2	0.48
177/3	0.50
177/4	0.49
योग	82.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक /2831/स्थापना/रा.मं./2005.—राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ मुख्यालय बिलासपुर एवं सर्किट कोर्ट जगदलपुर/रायपुर में उद्भूत होने वाले प्रकरणों के पंजीयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:—

1. राजस्व मण्डल के मुख्यालय एवं सर्किट कोर्ट रायपुर, जगदलपुर में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण एक ही पंजी में लगातार, बढ़ते क्रम से पंजीबद्ध किये जायेंगे.

2. उपरोक्तानुसार प्रकरणों का पंजीयन दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रारंभ किया जायेगा.

3. राजस्व मण्डल को प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आवेदन पत्र मुख्यालय बिलासपुर, सर्किट कोर्ट रायपुर एवं जगदलपुर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षक के माध्यम से भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे.

4. उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आवेदन जिस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते हैं वहां से प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर ऐसे आवेदन पत्र पंजीयन के लिये राजस्व मण्डल, मुख्यालय बिलासपुर में श्री एस. आर. राजपूत सहायक ग्रेड-2 को अनिवार्यत: प्रेषित किये जायेंगे. जिनके द्वारा प्रकरणों का पंजीयन कर संबंधित न्यायालय के प्रस्तुतकार को (अध्यक्ष/सदस्य मुख्यालय बिलासपुर, सर्किट कोर्ट रायपुर/जगदलपुर जैसी भी स्थिति हो) को एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे, श्री एस. आर. राजपूत को आवश्यकतानुसार सहयोग देने के लिये श्री दिवाकर राव ठवरे सहायक ग्रेड-3 राजस्व मण्डल मुख्यालय बिलासपुर को आदेशित किया जाता है. ये कर्मचारी श्री एस. आर. राजपूत के मार्ग निर्देशन में कार्य करेंगे.

प्रतिमाह कम्प्यूटर में प्रकरणों से संबंधित जानकारी फीड कर अध्यक्ष/सदस्य के अवलोकन हेतु श्री दिवाकर राव ठवरे सहायक ग्रेड-3 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा. संबंधित कर्मचारी इसके साथ ही साथ पूर्व में सौंपे गये कार्य का भी संपादन करेंगे.

अमृत लाल पाठक,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th December 2005

No. 706/Confdl./2005/II-2-1/2005 .—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office ; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vijay Kumar Kashyap, I Additional District & Sessions Judge.	Durg	Jagdalpur	Bastar	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Neelam Chand Sankhla, III Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg -	Durg	I Additional District & Sessions Judge.
3.	Smt. Rajni Dubey, II Additional District & Sessions Judge.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnand-gaon	I Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Nirmal Minj, II Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Rajnandgaon	Rajnand-gaon	II Additional District & Sessions Judge.

By orderr of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

Bilaspur, the 5th December 2005

No. 183/II-14-1/2005 (Part-III) .—The following Stenographers are promoted to the post of Private Secretary in the pay-scale of Rs. 6500-200-10500/- on the establishment of this high Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties :—

Sl. No.	Name of Stenographer
1.	Shri A. Anjani Kumar
2.	Shri Krishna Kumar Barve
3.	Shri K. G. Shankar Rao
4.	Shri Sayyad Roshan Zamir Ali

By order of Hon'ble the Chief Justice,
D. K. TIWARI, Additional Registrar.